वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22

के

अनुदानों एवं विनियोगों से
अधिक माँगें

(राज्यपाल के आदेशानुसार हरियाणा विधानसभा में यथाप्रस्तुत)

प्रस्तावना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 में यह प्रावधान है कि यदि किसी वित्त वर्ष के दौरान किसी सेवा पर उस वर्ष के लिए प्रदान की गई राशि से अधिक धन खर्च किया गया है, तो राज्यपाल ऐसी अधिक राशि के लिए राज्य की विधान सभा में मांग प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे।

वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के लिए 'हरियाणा सरकार के विनियोग लेखे' और भारत के 'नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राज्य वित्त रिपोर्ट' हरियाणा विधानसभा के समक्ष रखी गई थी। इन विनियोग लेखों की जाँच लोक लेखा समिति द्वारा की गई और इन पर लोक लेखा समिति की 88वीं रिपोर्ट 29 अगस्त, 2023 को विधान सभा के पटल पर रखी गई।

समिति की सिफारिशों के अनुसार, वर्ष 2019–20, 2020–21 तथा 2021–22 के लिए स्वीकृत अनुदानों / प्रभारित विनियोगों से अधिक हुए खर्च को विनियमित करने हेतु राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।

अनुराग रस्तोगी
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग

वर्ष 2019–20 के लिए स्वीकृत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों से अधिक खर्च के लिए मांगों का सारांश

(रुपये में)

पृष्ठ का संदर्भ	मांग संख्या	राजस्व		पूंजीगत		कुल
		स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	
1	08–भवन एवं सड़कें	126,99,64,859 / –	...	...	...	126,99,64,859 / –
2	23–खाद्य एवं आपूर्ति	26,39,64,601 / –	...	...	...	26,39,64,601 / –
कुल योग		**153,39,29,460 / –**	**...**	**...**	**...**	**153,39,29,460 / –**

वर्ष 2020–21 के लिए स्वीकृत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों से अधिक खर्च के लिए मांगों का सारांश

(रुपये में)

पृष्ठ का संदर्भ	मांग संख्या	राजस्व		पूंजीगत		कुल
		स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	
5	35–पर्यटन	21,92,63,603 / –	...	...	...	21,92,63,603 / –
कुल योग		**21,92,63,603 / –**	**...**	**...**	**...**	**21,92,63,603 / –**

वर्ष 2021–22 के लिए स्वीकृत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोगों से अधिक खर्च के लिए मांगों का सारांश

(रुपये में)

पृष्ठ का संदर्भ	मांग संख्या	राजस्व		पूंजीगत		कुल
		स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि	
9–10	07–आयोजना एवं सांख्यिकी	63,43,10,825 / –	...	...	...	63,43,10,825 / –
11	23–खाद्य एवं आपूर्ति	...	3,99,421 / –	...	...	3,99,421 / –
कुल योग		**63,43,10,825 / –**	**3,99,421 / –**	...	...	**63,47,10,246 / –**

वर्ष 2019–20

के

अनुदानों एवं विनियोगों से
अधिक माँगें

मांग संख्या 08– भवन एवं सड़कें
स्वीकृत : 126,99,64,859/–रुपये
प्रभारित : ..... रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
08–भवन एवं सड़कें	1172,77,76,000/–	1299,77,40,859/–	2059 – लोक निर्माण–कार्य 2216 – आवास 3054–सड़क एवं सेतु	126,99,64,859/–	.....

वित्तिय वर्ष 2019–20 के दौरान 1172,77,76,000/– रूपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 1299,77,40,859/– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 08 – भवन एवं सड़के के तहत 126,99,64,859/– रुपये का अतिरिक्त व्यय राजस्व (स्वीकृत) मद् में हुआ।

2. यह अतिरिक्त व्यय अधिक भुगतान की बजाय उचित शीर्ष में निधियों के अल्प प्रावधान के कारण हुआ।

3. इसलिए स्वीकृत राजस्व 126,99,64,859/– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि लेखों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 23– खाद्य एवं आपूर्ति
स्वीकृत : 26,39,64,601/– रूपये
प्रभारित : ..... रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
23– खाद्य एवं आपूर्ति	432,33,57,000/–	458,73,21,601/–	2408–खाद्य भंडारण एवं भांडागार 3456–सिविल पूर्ति 3475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	26,39,64,601/–	.....

वित्तिय वर्ष 2019–20 के दौरान 432,33,57,000/– रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 458,73,21,601/– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 23–खाद्य एवं आपूर्ति के तहत 26,39,64,601/– रुपये का अतिरिक्त व्यय राजस्व (स्वीकृत) मद् में हुआ।

2. यह अतिरिक्त व्यय मुख्यतः महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि, ट्रांसपोर्ट्स से सम्बन्धित पूर्ववर्ती वर्षों के लम्बित भुगतानों, डिपो होल्ड्र्स के मार्जिन, कॉन्फेड कमीशन और संविदा कर्मियों के वेतन के भुगतान के कारण हुआ।

3. इसलिए स्वीकृत राजस्व 26,39,64,601/– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि लेखों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

वर्ष 2020–21

के

अनुदानों एवं विनियोगों से
अधिक माँगें

मांग संख्या 35 – पर्यटन
स्वीकृत : 21,92,63,603/– रुपये
प्रभारित : ..... रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
35–पर्यटन	29,01,10,000/–	50,93,73,603/–	3452–पर्यटन	21,92,63,603/–	.....

वित्तिय वर्ष 2020–21 के दौरान 29,01,10,000/– रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 50,93,73,603/– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 35–पर्यटन के तहत 21,92,63,603/– रुपये का कुल अतिरिक्त व्यय राजस्व (स्वीकृत) मद् में हुआ।

2. यह अतिरिक्त व्यय हरियाणा पर्यटन निगम के वेतन के कारण हुआ, जिसका भुगतान राशि जारी करने में कुछ समय लगने के कारण नहीं हो पाया। कोविड की पहली और दूसरी लहर के कारण मामला और पेचीदा बन गया।

3. इसलिए राजस्व स्वीकृत 21,92,63,603/– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि लेखों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

वर्ष 2021–22

के

अनुदानों एवं विनियोगों से
अधिक माँगें

मांग संख्या 07– आयोजना एवं सांख्यिकी
स्वीकृत : 63,43,10,825/– रुपये
प्रभारित : ..... रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
07–आयोजना एवं सांख्यिकी	46,90,20,000/–	110,33,30,825/–	3451– सचिवालय आर्थिक सेवाएं 3454– जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	63,43,10,825/–	.....

वित्तिय वर्ष 2021–22 के दौरान 46,90,20,000/– रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 110,33,30,825/– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 07–आयोजना एवं सांख्यिकी के तहत 63,43,10,825/– रुपये का अतिरिक्त व्यय राजस्व (स्वीकृत) मद् में हुआ।

2. यह व्यय हरियाणा सरकार के लिए अनुदान की समग्र मांग हेतु बजट प्रावधान से अधिक नहीं था। हालाँकि, नोडल एजेंसी ''स्वर्ण जयंती हरियाणा वित्त प्रबंधन संस्थान'' द्वारा लाभार्थियों के खातों में डी.बी.टी. के माध्यम से राशि जारी किए जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत अनुदान संख्या 06 से अनुदान संख्या 07 में 70 करोड़ की राशि पुनः विनियोजित की गई, क्योंकि शुरू में इस उद्देश्य के लिए धनराशि आर्थिक और सांख्यिकीय मामले विभाग के तहत रखी गई थी, जिसके पास योजना को लागू करने के लिए बुनियादी ढांचा या मानव संसाधन नहीं थे।

3. इसलिए स्वीकृत राजस्व 63,43,10,825/– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि लेखों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

मांग संख्या 23– खाद्य एवं आपूर्ति
स्वीकृत : ..... रुपये
प्रभारित : 3,99,421/–रुपये

(रुपये में)

मांग संख्या	बजट अनुमान	वास्तविक	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत राशि	प्रभारित राशि
23– खाद्य एवं आपूर्ति	20,00,000/–	23,99,421/–	2408–खाद्य भंडारण एवं भांडागार	.....	3,99,421/–

वित्तिय वर्ष 2021–22 के दौरान 20,00,000/– रुपये के अनुदानों/विनियोगों के समक्ष महालेखाकार, हरियाणा द्वारा 23,99,421/– रुपये का व्यय दर्ज किया गया, जिसके परिणामस्वरूप मांग संख्या 23–खाद्य एवं आपूर्ति के तहत 3,99,421/– रुपये का अतिरिक्त व्यय राजस्व (प्रभारित) मद् में हुआ।

2. यह अतिरिक्त व्यय मुख्य रूप से विभिन्न मामलों में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के अनुसार किए जाने वाले व्यय की आवश्यकता के दृष्टिगत एक ही मुख्य शीर्ष 2408 और एक ही मांग संख्या –23 के तहत उस वर्ष के दौरान राशि के पुनर्विनियोजन के कारण था।

3. इसलिए राजस्व प्रभारित 3,99,421/– रुपये के अतिरिक्त व्यय, जैसा कि लेखों में दिखाया गया है, को विनियमित करने के लिए विधान सभा की स्वीकृति अपेक्षित है।

EXCESS DEMANDS OVER

Grants and Appropriations for the year
2019-20, 2020-21, 2021-22

**(As Presented to the Haryana Vidhan Sabha
by Order of Governor)**

PREFACE

Article 205 of the Constitution of India provides that the Governor shall, if any money has been spent on any service during a financial year in excess of the amount granted for that service for that year, cause to be presented to the Legislative Assembly of the State a demand for such excess.

"The Appropriation Accounts of the Government of Haryana" and the "State Finance Report of the Comptroller and Auditor General of India" for the Year 2019-20, 2020-21, 2021-22 were laid before the Haryana Vidhan Sabha.

The Public Accounts Committee examined these Appropriation Accounts in the 88th report of the Public Accounts Committee, which was laid on the Table of the House on August 29, 2023.

In accordance with the recommendations of the Committee, the Excess over Voted Grants/Appropriation for the year 2019-20, 2020-21, 2021-22 is presented before the State Legislature for regularization.

Anurag Rastogi
Additional Chief Secretary to Govt., Haryana
Finance Department

SUMMARY OF DEMANDS FOR EXCESS OVER VOTED GRANTS AND APPROPRIATION FOR THE YEAR 2019-20

Ref. to page	Demand No.	Revenue		Capital		Total
		Voted Rs.	Charged Rs.	Voted Rs.	Charged Rs.	Rs.
1	08-Buildings and Roads	126,99,64,859/-	--	--	--	126,99,64,859/-
2	23-Food and Supplies	26,39,64,601/-	--	--	--	26,39,64,601/-
	Grand Total	**153,39,29,460/-**	**--**	**--**	**--**	**153,39,29,460/-**

SUMMARY OF DEMANDS FOR EXCESS OVER VOTED GRANTS AND APPROPRIATION FOR THE YEAR 2020-21

Ref. to page	Demand No.	Revenue		Capital		Total
		Voted Rs.	Charged Rs.	Voted Rs.	Charged Rs.	Rs.
5	35-Tourism	21,92,63,603/-	--	--	--	21,92,63,603/-
	Grand Total	**21,92,63,603/-**	**--**	**--**	**--**	**21,92,63,603/-**

SUMMARY OF DEMANDS FOR EXCESS OVER VOTED GRANTS AND APPROPRIATION FOR THE YEAR 2021-22

Ref. to page	Demand No.	Revenue		Capital		Total
		Voted Rs.	Charged Rs.	Voted Rs.	Charged Rs.	Rs.
9	07 - Planning and Statistics	63,43,10,825/-	--	--	--	63,43,10,825/-
10	23 - Food and Supplies	--	3,99,421/-	--	--	3,99,421/-
	Grand Total	**63,43,10,825/-**	**3,99,421/-**	**--**	**--**	**63,47,10,246/-**

EXCESS DEMAND OVER

Grants and Appropriations for the year

2019-20

Demand No. 08 - Buildings and Roads
Voted: Rs. 126,99,64,859/-
Charged: Rs . ……...

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
08- Buildings and Roads	1172,77,76,000/-	1299,77,40,859/-	2059- Public Works 2216 - Housing 3054 - Roads and Bridges	126,99,64,859/-	--

Against the Grants/Appropriation of Rs. 1172,77,76,000/- an expenditure of Rs. 1299,77,40,859/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2019-20 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 126,99,64,859/- under the Demand No. 08- Buildings and Roads on Revenue 'Voted' side.

2. An excess expenditure was mainly due to under-provisioning of funds in the appropriate Head and not excess payment.

3. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue 'Voted' excess expenditure of Rs. 126,99,64,859/- as shown in accounts.

Demand No. 23 - Food and Supplies
Voted: Rs. 26,39,64,601/-
Charged: Rs. ……...

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
23-Food and Supplies	432,33,57,000/-	458,73,21,601/-	2408-Food, Storage and Warehousing 3456-Civil Supplies 3475-Other General Economic Services	26,39,64,601/-	--

Against the Grants/Appropriation of Rs. 432,33,57,000/- an expenditure of Rs. 458,73,21,601/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2019-20 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 26,39,64,601/- under the Demand No. 23- Food and Supplies on Revenue 'Voted' side.

2. An excess expenditure was mainly due to increase in the rate of Dearness Allowance, on account of pending payments of previous years relating to transporters payments, depot holder margins, CONFED commission and salary of contractual employees.

3. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue 'Voted' excess expenditure of Rs. 26,39,64,601/- as shown in accounts.

EXCESS DEMAND OVER

Grants and Appropriations for the year

2020-21

Demand No. 35- Tourism
Voted: Rs. 21,92,63,603/-
Charged: Rs. ……...

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
35-Tourism	29,01,10,000/-	50,93,73,603/-	3452-Tourism	21,92,63,603/-	--

Against the Grants/Appropriation of Rs. 29,01,10,000/- an expenditure of Rs. 50,93,73,603/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2020-21 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 21,92,63,603/- under the Demand No. 35-Tourism on Revenue 'Voted' side.

2. An excess expenditure is attributed to salary of Haryana Tourism Corporation which remained un-paid for quite some time the amount had to be released. The period being that of COVID, first and second wave, made the case more compelling.

3. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue 'Voted' excess expenditure of Rs. 21,92,63,603/- as shown in accounts.

EXCESS DEMAND OVER

Grants and Appropriations for the year

2021-22

Demand No. 07 - Planning and Statistics
Voted: Rs. 63,43,10,825/-
Charged: Rs. ……..

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
07 - Planning and Statistics	46,90,20,000/-	110,33,30,825/-	3451 - Secretariat-Economic Services 3454-Census,Surveys and Statistics	63,43,10,825/-	--

Against the Grants/Appropriation of Rs. 46,90,20,000/- an expenditure of Rs. 110,33,30,825/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2021-22 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 63,43,10,825/- under the Demand No. 07 - Planning and Statistics on Revenue 'Voted' side.

2. The expenditure was not in excess of budget provision for the overall demand for Grants for Government of Haryana. However, funds to the tune of Rs. 70 crores were re-appropriated from Grant no. 06 to Grant no. 07, in view of the exigency regarding releasing of funds through DBT in the account of beneficiaries by Nodal Agency "Swarna Jayanti Haryana Institute for Fiscal Management", as initially funds for this purpose were placed under the Department of Economic and Statistical Affairs which didn't have the infrastructure or human resources for implementing the scheme.

3. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue 'Voted' excess expenditure of Rs. 63,43,10,825/- as shown in accounts.

Demand No. 23 - Food and Supplies
Voted: Rs. ……...
Charged: Rs. 3,99,421/-

Grant No.	Budget Estimates	Actuals	Major Head	Voted Rs.	Charged Rs.
23 - Food and Supplies	20,00,000/-	23,99,421/-	2408 Food, Storage and Warehousing	--	3,99,421/-

Against the Grants/Appropriation of Rs. 20,00,000/- an expenditure of Rs. 23,99,421/- was booked by Accountant General, Haryana during the year 2021-22 resulting in an overall excess expenditure of Rs. 3,99,421/- under the Demand No. 23 - Food and Supplies on Revenue 'Charged' side.

2. An excess expenditure was mainly due to re-appropriation of funds during the year under same Major Head 2408 and same Demand No.- 23 in view of the exigency about expenditure to be made as per Orders passed by Hon'ble Courts in various cases.

3. The Vote of the Legislature is, therefore, required for regularization of Revenue 'Charged' excess expenditure of Rs. 3,99,421/- as shown in accounts.